



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या: 88-अ0प्र0(2अ)/पा0का0लि0/2012

दिनांक: 12 अक्टूबर, 2012

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन कार्यहित में एतद्वारा निम्नांकित अधीक्षण अभियन्ताओं (विद्युत एवं यान्त्रिकी) को मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) (विद्युत एवं यान्त्रिकी) के पद पर प्रोन्नत किया जाता है तथा स्तम्भ संख्या-03 में उल्लिखित उनके वर्तमान तैनाती के कार्यालय/स्थान से स्थानान्तरित कर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) (विद्युत एवं यान्त्रिकी) के पद पर नियुक्त तथा स्तम्भ संख्या-04 में उल्लिखित कार्यालय/स्थान पर तैनात किया जाता है:-

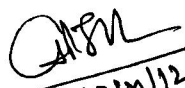
क्र० सं०	नाम अभि० सं०/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	प्रोन्नति, स्थानान्तरण के पश्चात् तैनाती का कार्यालय/स्थान
1	2	3	4
1	श्री सतीश चन्द्रा 76087/आजमगढ़	अधीक्षण अभियन्ता ऊर्जा प्रणाली, लखनऊ।	मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) एवं मुख्य अभियन्ता, ऊर्जा प्रणाली, लखनऊ।
2	श्री विनोद कुमार मित्तल 76092/मेरठ	अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल हमीरपुर।	मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) एवं मुख्य अभियन्ता (वितरण), बौदा क्षेत्र, बौदा।
3	श्री विनय कुमार कपूर 76096/वाराणसी	अधीक्षण अभियन्ता विद्युत परीक्षण एवं परिचालन मण्डल, आगरा	मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), सम्बद्ध प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा।
4	श्री वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव 76097/फैजाबाद	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, शाहजहांपुर।	मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) एवं मुख्य अभियन्ता (वितरण), नवसृजित बस्ती क्षेत्र, बस्ती।
5	श्री मोहन सिंह 76098/आगरा	अधीक्षण अभियन्ता, सम्बद्ध प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी।	मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) सम्बद्ध प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ।
6	श्री चन्द्र नाथ बनर्जी 76100/इलाहाबाद	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत परीक्षण एवं परिचालन मण्डल, इलाहाबाद।	मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) एवं मुख्य अभियन्ता, 765 एवं 400केवी पारेषण यूनिट, लखनऊ।

2- उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21-3-2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।

3- उपरोक्त स्थानान्तरित अधिकारियों को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाए।

4- नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन/पाकालि(06)-2001 दिनांक 11-6-2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाकन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।

5- उपरोक्त अधीक्षण अभियन्ताओं को मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) (विद्युत एवं यान्त्रिकी) के पद पर इस प्रतिबन्ध के साथ प्रोन्नत किया जाता है कि निदेशक पद पर चयनित अधिकारियों की किसी कारणवश प्रत्यावर्तन/पदच्युत के फलस्वरूप उनके मूल संवर्ग में अपने ज्येष्ठताक्रम में स्थापित किया जायेगा तथा कनिष्ठतम प्रोन्नत अधिकारी पदावनत हो जाएगा।


12/10/12

प्रबन्ध निदेशक

.....2.....

संख्या: 88(1)अ0प्र0(2अ)/पा0का0लि0/2012 तददिनांक

- प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक/समस्त निदेशक, के निजी सचिव उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
 - 2- प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्वल/पश्चिमान्वल/मध्यान्वल/दक्षिणान्वल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा/केस्को लिमिटेड, कानपुर।
 - 3- अपर सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
 - 4- मुख्य अभियन्ता, कम्प्यूटर इकाई, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
 - 5- उप सचिव (प्रशि0)/(गोपन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
 - 6- उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
 - 7- अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0पा0का0लि0, कमरा नं0-407, शक्ति भवन, लखनऊ।
 - 8- सम्बन्धित अधिकारीगण/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल/नोटिस बोर्ड।

आज्ञा से,


(अजय कुमार पुरेवार)
उप सचिव